

## जज एडवोकेट जनरल (JAG) भरती हेतु सेना का लगि-आधारति कोटा खारजि

स्रोत: TH

### चर्चा में क्यों?

भारत के **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने भारतीय सेना की उस नीति को नरिस्त कर दिया, जिसमें महिला अधिकारियों की नयुक्तिको केवल **जज एडवोकेट जनरल (JAG)** शाखा तक सीमति कया गया था। अदालत ने इस तर्क को खारजि कर दिया कि महिलाएं **काउंटर-इंसरजेंसी** या **काउंटर-टेरर** बलों में सेवा नहीं कर सकती, और सभी **कॉम्बैट-सपोर्ट शाखाओं** में **लैंगिक समानता** पर जोर दिया।

**नोट:** JAG भारतीय सेना की कानूनी शाखा है, जो **सेना अधिनियम, 1950** के तहत **सैन्य कानून** पर सलाह देती है और परचालन, प्रशासनिक और अनुशासनात्मक मामलों पर कमांडरों का मार्गदर्शन करती है।

- JAG अधिकारी कमीशंड कॉम्बैटेंट होते हैं, जिन्हें युद्धकाल में कॉम्बैट-सपोर्ट भूमिकाओं में तैनात कया जा सकता है।
- सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के तहत **महिलाएं JAG में शामिल होने** के लिये पात्र हैं।

### सेना में JAG की भरती और ऑपरेशनल भूमिकाओं में महिलाओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के नरिदेश कया हैं?

- **सामान्य योग्यता सूची:** सर्वोच्च न्यायालय ने सेना की उस नीति को रद्द कर दिया जिसके तहत **संयुक्त प्रशासनिक श्रेणी (JAG)** की नौ में से **छह रक्तिथियाँ पुरुषों के लिये** आरक्षति थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह नरिणय दिया कि सेना और केंद्र सरकार, **JAG में महिला अधिकारियों की संख्या को सीमति नहीं** कर सकते, क्योंकि उन्हें **सेना अधिनियम, 1950** के तहत प्रवेश की अनुमति मिलि गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें **एकल योग्यता-आधारति सूची** तैयार करने का नरिदेश दिया, ताकि **केवल योग्यता के आधार पर** चयन सुनश्चिति हो सके।
- **कॉम्बैट-सपोर्ट भूमिकाओं में समान अवसर:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि महिलाओं को काउंटर-इंसरजेंसी या काउंटर-टेरर भूमिकाओं से बाहर रखना किसी कानूनी आधार का अभाव है, यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है तथा यह भी कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक सुरक्षति नहीं हो सकता जब तक समानता का अधिकार न दिया जाए।
- **सदिध संचालन कषमता:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकति कया कि सेना के वपिरीत, अन्य बलों में महिलाओं के कॉम्बैट भूमिकाओं में शामिल होने पर कोई प्रतबिंध नहीं है। उदाहरणस्वरूप, कैप्टन **ओजस्वति शरी, मेजर द्वपिन्नति कलति और फ्लाइट लेफ्टनैट शविगी सहि**, जिन्होंने उच्च-जोखमि वाले कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कया है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने **मेजर गोपकि भट्टी द्वारा उग्रवादी-प्रभावति कषेत्रों में काफलि की कमान और करनल अंशु जमवाल द्वारा युद्ध कषेत्रों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भागीदारी का हवाला देते हुए प्रश्न उठाया कि ऐसे सक्षम अधिकारियों को काउंटर-इंसरजेंसी या काउंटर-टेरर अभियानों में तैनाती से क्यों बाहर रखा गया है।**

### रक्षा बलों में महिलाओं पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसले

- **सचवि, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनया (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में उन सभी शाखाओं में महिलाओं के लिये **स्थायी कमीशन (PC)** अनविर्य कर दिया जहाँ **शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC)** उपलब्ध है।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को **कमान के पदों पर रहने** की अनुमति दी जानी चाहिये तथा लगे के आधार पर स्थायी कमीशन से वंचति करना **संवधान के अनुच्छेद 14** का उल्लंघन घोषति कया।
- **कुश कालरा बनाम भारत संघ (2021):** सर्वोच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA)** में महिलाओं के प्रवेश का आदेश दिया, ताकि उन्हें पुरुषों के साथ स्थायी कमीशन के लिये प्रशिक्षण की अनुमति मिलि सके।

### रक्षा कषेत्र में नारी शक्ति

- पछिले एक दशक में, भारत की रक्षा सेनाओं में महिलाओं की संख्या लगभग 3,000 (वर्ष 2014) से बढ़कर 11,000 (वर्ष 2025) से अधिक हो गई है, जो नीति और सोच में बड़े बदलाव को दर्शाती है।
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) ने वर्ष 2022 में अपनी पहली 17 महिला कैडेट्स को शामिल किया, और तब से अब तक चार बैचों में कुल 126 महिलाएँ शामिल हो चुकी हैं, जो महिलाओं को कॉम्बैट सपोर्ट और ऑपरेशनल भूमिकाओं में एकीकृत करने की दृष्टि में एक ऐतिहासिक कदम है।



## रक्षा बलों में महिलाओं का क्या महत्त्व है?

- **संचालन क्षमता में वृद्धि:** महिलाएँ आधुनिक सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ाती हैं, क्योंकि वे **खुफिया, लॉजिस्टिक्स और मानवीय मशिनों** में विविध कौशल का योगदान देती हैं, जिससे **संघर्ष क्षेत्रों में स्थितिकी बेहतर समझ और नरिणय** लेने की क्षमता में सुधार होता है।
- **शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना:** रक्षा क्षेत्र में कार्यरत महिलाएँ संघर्ष के दौरान कमज़ोर आबादी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
  - **लगा-विविध सेनाएँ** समाज की आवश्यकताओं के प्रति अधिक **संवेदनशील** होती हैं, जिससे सुरक्षा रणनीतियाँ समग्र और प्रभावी बनती हैं।
- **सामाजिक प्रभाव:** वरिष्ठ पदों पर महिलाएँ युवा अधिकारियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं, जिससे उनके कैरियर में प्रगति और मनोबल में वृद्धि होती है।
- **ऑपरेशन सट्टि** के दौरान **कॉन्सोलिडेशन** कुरैशी और **वगि कमांडर** व्योमिका सहि ने नेतृत्व और व्यावसायिकता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा।

रक्षा में महिलाओं का एकीकरण समाज की प्रगति को दर्शाता है, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और सशस्त्र बलों में समानता, जवाबदेही तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देता है, साथ ही [संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15 और 16](#) को भी सशक्त करता है।

## कमांडिंग और कॉम्बैट पोजीशन में महिलाएँ

भारतीय रक्षा बलों ने एक सच्ची लैंगिक-तटस्थ और समावेशी सेना बनने की दिशा में उत्तरेखनीय कदम उठाए हैं। इसने सभी शाखाओं में महिलाओं के शामिल होने की शुरुआत कर दी है।

### मुख्य बातें

- कैप्टन शिवा चौहान जनवरी 2024 में सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनल तैनाती पाने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
- दिसंबर 2023 में, कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन बेटल स्कूल में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनीं।
- कैप्टन फातिमा वसीम 2023 में सियाचिन ग्लेशियर के एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनीं।
- लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देसठले भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।
- ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी, एक हेलिकॉप्टर पायलट, भारतीय वायुसेना में उड़ान शाखा से कॉम्बैट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला बनीं (2023)।

### बाधाओं को तोड़ती महिलाएँ

- 2019 में, 24 वर्षीय सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनीं, जिन्होंने एक फिक्स्ड-विंग डॉर्नियर मेरिटाइम टोही विमान उड़ाया।
- 2017 में, नौसेना की छह महिला अधिकारियों ने आईएनएसवी तारिणी में दुनिया का चक्कर लगाकर इतिहास रचा।
- फ्लाइट लेफ्टिनेंट पारुल भारद्वाज, फ्लाइट ऑफिसर अमन निधि और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल पहली ऑल-विमेन क्रू बनीं, जिन्होंने बेटल इनोकुलेशन ट्रेनिंग मिशन की शुरुआत की।
- फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, फाइटर पायलट भावना कांत और मोहना सिंह के साथ—पहली महिला कॉम्बैट पायलट—भारतीय वायुसेना के फाइटर स्काइन में शामिल हुईं।

और पढ़ें: [भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाएँ](#)

### मेन्स कीवर्ड्स

- “विविधता रणनीति को मजबूत करती है”: लैंगिक समावेशन से पर्यायलन प्रभावशीलता में सुधार होता है।
- “समावेश के माध्यम से शांति”: मानवीय कार्यों, शांति स्थापना तथा नागरिक अभियानों के संचालन में महिलाओं की भागीदारी।
- “युद्ध के लिये तैयार समानता”: महिलाएँ सभी प्रकार की युद्ध-सहायक भूमिकाओं में नयुक्ता हेतु योग्य हैं।
- “योग्यता लैंगिक पहचान से ऊपर है”: सशस्त्र बलों में चयन क्षमता के आधार पर न कलैंगिक आधार पर।

प्रश्न-उत्तर:

प्रश्न. राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थाओं में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लयि नरिंतर चुनौतयिँ क्य है? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-strikes-down-army-s-gender-based-quota-for-jag-recruitment>

